FIROZABAD POLICE
सुरक्षा आपकी
संकल्प हमारा

प्रेस नोट दिनाँक 11-11-2026 पुलिस मुठभेड़ थाना अरांव जनपद फिरोजाबाद।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन आगरा एवं श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक आगरा परिक्षेत्र आगरा के निर्देशन में तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री आदित्य लांग्हे के निकट पर्यवेक्षण में थाना अरांव पुलिस टीम, द्वारा थाना अरांव क्षेत्रान्तर्गत रूप सिंह की हत्या कारित करने से संबंधित अभियुक्त राजीव पुत्र ब्रजराज को पुलिस मुठभेड़ के दौरान किया गया गिरफ्तार।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व व क्षेत्राधिकारी सिरसागंज के कुशल पर्यवेक्षण में दिनांक 11.11.2026 को थाना अराँव पुलिस टीम द्वारा थाना अराँव पर पंजीकृत मु0अ0सं0 184/2026 धारा 191(2)/191(3)/190/109(1)/ बीएनएस में अभियोग बनाम राजीव आदि पंजीकृत हुआ था जिसमें से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु तलाश की जा रही थी। मुकदमें विवेचना के दौरान धारा 103 बीएनएस की बढोत्तरी की गयी। आज मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि उक्त मुकदमे में वांछित अभियुक्त राजीव पुत्र ब्रजराज सिंह निवासी ग्राम चन्द्रपुरा, थाना अराँव, जनपद फिरोजाबाद नगला चैन की तरफ से आने वाला है।

सूचना पर थाना अराँव पुलिस टीम द्वारा नगला चैन रोड पर चेकिंग की जा रही थी। तभी नगला चैन की तरफ से अभियुक्त राजीव उपरोक्त आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस टीम द्वारा उसे रोकने का इशारा दिया गया, जिस पर अभियुक्त द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी गई। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त राजीव के पैर में गोली लग गई, जिससे वह घायल हो गया। घायल अभियुक्त को तत्काल उपचार हेतु पुलिस अभिरक्षा में सरकारी अस्पताल भिजवाया गया।

अभियुक्त के उसके कब्जे से **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 खोखा कारतूस 315 बोर एवं 02 जिंदा कारतूस 315 बोर** बरामद किए गए।

घटना का विवरण-- वादी सचिन पुत्र धनपाल निवासी ग्राम चन्द्रपुरा थाना अरांव द्वारा थाना अरांव पर तहरीर दी गई कि राजीव पुत्र बृजराज आदिगण निवासीगण चन्द्रपुरा थाना अरांव के द्वारा वादी के चाचा रूप सिंह व वीरू पर जान से मारने की नीयत से प्रहार किया गया। जिस कारण वादी के चाचा रूप सिंह व वीरू को गम्भीर चोटें आई थी। थाना अरांव पुलिस टीम द्वारा तत्काल घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया था। दौराने उपचार रुप सिंह की मृत्यु हो गयी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

01-राजीव पुत्र ब्रजराज सिंह निवासी ग्राम चन्द्रपुरा, थाना अराँव, जनपद फिरोजाबाद।

बरामदगी-

1. 01 अवैध तमंचा 315 बोर।
2. 01 खोखा कारतूस 315 बोर।
3. 02 जिंदा कारतूस 315 बोर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त राजीव---

01-मु0अ0सं0 51/15 धारा 392.411 भादवि थाना घिरोर जनपद मैनपुरी।
02-मु0अ0सं0 53/15 धारा 3/25ए आर्म्स एक्ट थाना घिरोर जनपद मैनपुरी।
03-मु0अ0सं0 184/26 धारा 91(2)/191(3)/190/109(1)/103 बीएनएस थाना अरांव जनपद फिरोजाबाद।
04-मु0अ0सं0 187/26 धारा 109(1) बीएनएस 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना अरांव जनपद फिरोजाबाद।

गिरफ्तार करने वाली टीम—

01-थानाध्यक्ष योगेन्द्र सिंह थाना अरांव जनपद फिरोजाबाद।
02- उ0नि0 श्री दुशासन सिंह थाना अरांव जनपद फिरोजाबाद।
03- उ0नि0 श्री संजय मोतला थाना अरांव जनपद फिरोजाबाद।
04- हे0का0 1023 मो0 आफताब थाना अरांव जनपद फिरोजाबाद।
05- हे0का0 1054 बाबू जालिम सिंह थाना अरांव जनपद फिरोजाबाद।
06-का0 1879 सत्यम कुमार, थाना अरांव जनपद फिरोजाबाद।
07-का0 1071 जितेन्द्र कुमार, थाना अरांव जनपद फिरोजाबाद।
08-का0 1880 अमन कुमार थाना अरांव जनपद फिरोजाबाद।